

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार, पटना के सबसे वरीय कर्मी श्री संजीव राय, प्रभारी प्रशासन, उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक कार्यकारी निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. प्रबंध पर्षद में लिये गये निर्णयों के तीव्रतः अनुपालनार्थ कार्यकारी निदेशक सीधे अध्यक्ष-सह-प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार को नियमतः रिपोर्ट करेंगे।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स0)/उ०स्था०(विविध)39/2008

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- श्री संजीव राय, प्रभारी प्रशासन, उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार, पटना/कार्यकारी निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- उद्योग मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 2750

पटना, दिनांक:- 20/07/2015

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

Signature

सरकार के संयुक्त सचिव

राकेश/20-07-15